# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
## जिला चित्तौडगढ

**पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या:– 221/2015
दायर दिनांक:– 24/11/2015
निर्णय दिनांक:– 21/09/2022

**उनवान**

1. देवकिशन पिता हरिचंद जाट निवासी जाशमा मृतक के बजाय
 1/1 कालुराम पिता स्व0 देवकिशन जाट निवासी जाशमा, तहसील भूपालसागर
 1/2 भगवानलाल पिता स्व0 देवकिशन जाट निवासी जाशमा, तहसील भूपालासागर
 1/3 सीतादेवी पिता स्व0 देवकिशन जाट निवासी जाशमा, तहसील भूपालसागर
 1/4 मु0 हांसीबाई पत्नी स्व0 देवकिशन जाट निवासी जाशम, तहसील भूपालसागर

**वादीगण**

**बनाम**

1. श्रीमती रूकमा पत्नी स्व0 शंकरलाल जाट निवासी जाशमा, हाल मुकाम भोनियाखेडी तहसील कपासन।

**प्रतिवादी**

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

**उपस्थिति :– 1. श्री बंशीलाल लड्डा वकील प्रार्थी**
**2. श्री रतनलाल टॉक वकील अप्रार्थी**

## : : निर्णय : :

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम जाशमा पटवार हल्का जाशमा तहसील भूपालसागर की हाल खाता सं. 2555 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आराजी नं. 2556 रकबा 0.57 हैक्टेयर, कुल किता 02 कुल रकबा 0.60 हैक्टयर भूमि स्थित है जो उपरोक्त आराजीयात के साबिक पैमाईश में आराजी खसरा नम्बर 1487 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा थे जो शंकरलाल मुतबन्ना हरलाल जाट निवासी जाशमा के नाम खातेदारी से दर्ज होकर कब्जे काश्त थी। जिन्होने दिनांक 12.11.79 को प्रार्थी के हक में विक्रय पत्र निष्पादीत कर विक्रय पत्र का जंजीयन करवाया एवं मौके पर कब्जा सिपूर्द किया तभी से उक्त आराजीयात पर कब्जा प्रार्थी का निरन्तर चला आ रहा है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण भी सन् 86 में प्रार्थी के नाम पर [illegible] तस्दीक हो चुका था जिसके आधार पर सम्वत् 2036 में 39 की जमाबन्दी में भी इन्द्[illegible] प्रार्थी [illegible] नाम पर हो चुका था परन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट मे राजस्व कर्मचारियों की [illegible] का इन्द्राज शंकरलाल मुतबन्ना हरलाल जाट निवासी जाशमा के [illegible] है। शंकरलाल [illegible] पर प्रार्थी का नाम खातेदारी से दर्ज होना चाहिये था। खातेदार [illegible]रलाल की मृत्यु हुए [illegible] हो चुके है जिसके वारिस अप्रार्थीया एवं उसकी तीनों नाबालिग पुत्रियां रवीना, कृष्णा व माया है जिनको मूल वाद में प्रतिवादी संख्या दो, तीन व चार के रूप में पक्षकार बनाया है। अप्रार्थीया आराजीयात का विरासत का नामान्तरण अपने व तीनो नाबालिक पुत्रियों के नाम खुलवा जमीन को खुर्द बुर्द

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला -चित्तौडगढ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.27 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested

करने पर आमदा है इस कारण अप्रार्थीया को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया है कि वह वाद के निर्णय होने तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीया का नामान्तरण अपने व बच्चीयों के नाम पर नहीं खुलवावे एवं आराजीयात के किसी भी हिस्से को किसी भी तरह से खुर्द बुर्द नहीं करे। अतः इनके विरूद्ध मौके व राजस्व रेकार्ड अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराना चाहती है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी परन्तु जारी नहीं होने पर प्रार्थीयागण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं वकील प्रार्थी की अन्तरिम बहस पर दिनांक 21.09.2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील अप्रार्थी ने वकालतनाम मय जवाब दिनांक 08.11.2012 को पेश किया जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दी गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात को खातेदार शंकर लाल ने उक्त आराजीयात को कभी विक्रय नही की है और आज दिन तक कब्जा किसी को भी सिपूर्द नहीं किया है। बल्कि आज भी कब्जा उक्त आराजीयात पर हम अप्रार्थीगण का बेरोक टोक के चला आ रहा है और उपयोग उपभोग भी हम ही करते आ रहे है। आराजीयात के पडोस पूर्व– मोडा जी कुम्हार का खेत, पश्चिम– अप्रार्थीगण की जमीन, उत्तर– हीरा राव, मदन राव का खेत दक्षिण– हम अप्रार्थी की आराजीयात सिथ्त है। उक्त आराजीयात प्रार्थी के नाम पर कभी नहीं आई थी, इस कारण हमारे नाम नामान्तरण खोला है जो सही है अस्थाई निषेधागा से प्रार्थी का रूकवाने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।। प्रार्थीना पत्र में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा नहीं है,। कारण प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, अपूरणीय क्षति अप्रार्थी के पक्ष में बनती है। पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, प्रस्तुत जवाब एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्यों एवं बहस के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्य अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दोनो पक्षों को पांबद किया जाता है वह वाद के निस्तारण होने तक राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.09.27 17:35:34 IST
Reason: SelfAttested